

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

बनाम

प्रतिवादी

1 थानाराम 2 नारायण 3 मीरो पिसरान  
4 थानाराम जाति जाट निवासी जोगेश्वर  
कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर 4  
कैसी पुत्री थानाराम पत्नी कुशलाराम जाति  
जाट निवासी बाडमेर गादाम तहसील  
बाडमेर ग्राभीण जिला बाडमेर 5 धन्नी  
चौधरी पुत्री थानाराम पत्नी मदनराम जाति  
जाट निवासी मांगीणी तहसील शिव जिला  
बाडमेर।

1 थानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट  
निवासी जोगेश्वर कुआ, गरल तहसील व  
जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 240/2024

निर्णय दिनांक :- 13.08.24

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.24 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा मौजा ग्राम जोगेश्वर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 517/388 रकबा 11.8006 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 13.08.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी,  
सहायक कलक्टर,  
(एसडीओ) बाडमेर

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़